न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 99/2018

तारीख दायरा :14.05.2018

उनवान

1.प्रताप सिंह पुत्र चन्दर सिंह जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.....प्रार्थी।

बनाम

1.सुरताराम पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

2.सुबेसिंह पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3.सरजीत पुत्र मक्खन जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

4.बस्तीराम पुत्र मक्शन जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

5.हनुमान पुत्र मक्शन जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

6.सतीश पुत्र मक्खन जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

7.मुकेश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

8.शीशराम।

9.पप्पूराम पुत्रान मेहरचन्द जातियान जाट निवासी कोकावास तह0 मुण्डावर।

10.राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर।

11.उप पजीयंक मुण्डावर जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री अरूण पण्डित, अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सरजीत यादव, अधिवक्ता .....अप्रार्थीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक: 26.7.19

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख. हाल 221 रकबा 1.56 है0, 240 रकबा 0.43 है0, 249 रकबा 0.32 है0, वाके ग्राम कोकावास व ख. न. 129 रकबा 0.27 है0, 130 रकबा 0.27 है0, 146 रकबा 0.34 है0, 151 रकबा 0.42 है0, वाके ग्राम हटूण्डी में स्थित है जो विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 ला.9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मौके पर मिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ला.9 अपने हिस्सेनुसार शामलात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजी का आज तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान् के शामलात में दर्ज होने से अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग को बेचान करने एवं निर्माण आदि करने पर उतारू हो रहे है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। दिनांक 08.05.2018 को प्रार्थी अपने हिस्से पर काश्त कर रहा था तो अप्रार्थीगण ने कार्य काश्त करने में रूकावट पैदा की तथा आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया साथ ही ऐलानिया धमकी भी दी गई कि उक्त आराजी का बिना विभाजन कराये दीगर लोगों को बेचान करेगें। अन्त में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कार्य काश्तकारी करने में कोई रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा आराजी को रहन बय नहीं करनें तथा कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ला.9 की संयुक्त खाते की आराजी है परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अर्सा दराज से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का बहामी बटंवारा कर रखा है तथा बटंवारा के अनुसार काबिज काश्त है तथा मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी में पुख्ता रिहायशी मकानात का निर्माण कर रखा है इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से बटंवारा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से सह खातेदार को आराजी बेचान कराने से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। कब्जे काश्त में झगडा करने एवं जबरन कब्जा करने का तथ्य प्रार्थी ने गलत दर्ज किया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण विभाजन का है जिसमें प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर कुरेजात रिर्पोट आ चुकी है। विवादित आराजी दोनों पक्षों की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जब तक आराजी का विधिक रूप से तकासमा नहीं हो जाता तब तक के लिए अस्थाई निषेघाज्ञा जारी रखी जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है पक्षकारान् बहामी बटंवारा के अनुसार काबिज है। प्रार्थी/अप्रार्थीगण दोनों केता है। प्रार्थी निर्माण कार्य कर चुका है। अप्रार्थीगण सह खातेदार है और सह खातेदार को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी को अपने हिस्से पर निर्माण करने एवं बेचान करने व रहन रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी स.2071–74 एवं 2072–75 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है जिसके दोनों पक्ष सह खातेदार है। प्रार्थी का कथन है कि संयुक्त कब्जा काश्त है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि आराजी का पूर्व से ही बहामी बटंवारा हो रहा है ओर बहामी बटंवारा के अनुसार ही काबिज है। परन्तु बहामी बटंवारे के बारे में कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी का दावा विभाजन का है। चूंकि विवादित आराजी का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है और जब तक विधिक विभाजन नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजी को संयुक्त खातेदारी में माना जावेगा। वर्तमान में प्रकरण अप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह खातेदार है और विधिक स्थिति के अनुसार एक सह खातेदार का प्रत्येक ईंच–ईंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। माननीय राजस्व मण्डल एवं अन्य उच्च अदालतों द्वारा समय–समय पर यह अभिनिर्धित किया जा चुका है कि संयुक्त खातेदारी की आराजी में एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। हस्तगत प्रकरण में भी भूमि दोनों पक्षों की सह खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं होता है।

चूंकि यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि एक खातेदार को उसके हिस्से की आराजी के उपभोग करने एवं रहन बय करने से नहीं रोका जाना चाहिए। यदि इस मामले में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी रखी जाती है तो निश्चित रूप से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जबकि प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावंना प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अप्रार्थीगण भूमि के सह खातेदार है तथा प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा इस स्थिति में यदि अस्थाई निषेघाज्ञा जारी रखी जाती है तो अप्रार्थीगण को ही असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम यह पाते है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं है लिहाजा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत आराजी ख.न. आराजी ख.हाल 221 रकबा 1.56 है0, 240 रकबा 0.43 है0, 249 रकबा 0.32 है0, वाके ग्राम कोकावास व ख.न. 129 रकबा 0.27 है0, 130 रकबा 0.27 है0, 146 रकबा 0.34 है0, 151 रकबा 0.42 है0, वाके ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
26.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
26.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner